ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह, विकास खण्ड कुपवी ज़िला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018

भाग-I

1 प्रस्तावना (क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव , पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच -एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, बान्दल कफ्लाह, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/201 5 से 31/03/201 8 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री सतपाल चौहान	23.01.2011 से 22.01.2016 तक
2	श्रीमती हेमलता शर्मा	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री किरपा राम	01.04.2015 से 31.03.2016 तक
2.	कुमारी प्रोमिला	01.04.2016 से 10.12.2016 तक
3.	श्री आशीष शर्मा	11.12.2016 से 20.03.2017 तक
4.	श्री पदम् सिंह	21.03.2017 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत, बान्दल कफ्लाह के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण	1.65

2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.19
3	8	अनुदान का उपयोग न करना	26.09
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय	2.50
5	11(i)	निर्माण कार्यो के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	7.28
6	11(ii)	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गयी राशि	0.29
7	11(iii)	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय, राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.64
8	12	मनरेगा की रोकड़ बही का संधारण/ प्रस्तुत न करना	12.90
9	13	पेशगी के रूप में आहरण की गई राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	3.50
10	14	हस्तगत शेष राशि की वसूली बारे	0.16
11	15(i)	TSC/SBM योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करना	3.60
12	15(ii)	उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR/कच्ची रसीद पर दर्शायी गई खरीद/व्यय भुगतान	1.22
13	15(iv)	अनियमित अग्रिम (Advance) भुगतान करना	0.70
14	16	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	1.60

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत, बान्दल कफ्लाह , विकास खण्ड कुपवी , ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **07.05.2018 से 09.05.2018 तथा 14.05.18 से 16.05.2018** को ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	08/2015	06/2015
2016-17	07/2016	09/2016
2017-18	07/2017	04/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप ण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/201 8 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :जी.पी.(आडिट)/कुपवी/2018-19-3 दिनांक 16.05.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/201 5 से 31/03/201 8 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह के अवधि 01/4/201 5 से 31/3/2018 के स्व: स्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1 व 2** में दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2015-16	------	43371.00	43371.00	8190.00	35181.00
2016-17	35181.00	56652.00	91833.00	20151.75	71681.25
2017-18	71681.25	96854.00	168535.25	13840.00	154695.25

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए | जबकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है | अतः स्वयं के

स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

ii). अनुदान:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2015-16	922224.86	1699912.00	2622136.86	1420046.00	1202090.86
2016-17	1202090.86	2861532.00	4063622.86	1765006.00	2298616.86
2017-18	2298616.86	3361082.00	5659698.86	3050519.00	2609179.86

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/1 5 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/15 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न कर ने के कारण दिनांक 31.3.18 को ₹1.65 लाख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2018 को निम्नविवरणानुसार ₹1,64,885.10 का अन्तर पाया गया| उक्त अन्तर की राशि में से सामान्य निधि खातें ₹81511 **{परिशिष्ट-5}** के अन्तर के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका, जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	154695.25	1
2.	अनुदान	2609179.86	2
3.	कुल शेष राशि	2763875.11	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	2598990.01	4
5.	कुल अन्तर	**164885.10**	5

(ii). रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जमा:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई रोकड़ बहियां तथा खाताबहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही , बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती| ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें भी विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ वही एवं खाता वहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

6 स्वयं के स्त्रोत से आय की नियमित वसूली न करना:-

ग्राम पंचायत को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है की ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए | यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह द्वारा उनके पत्र क्रमांक :GP/Bandal Kaphlah/-2018-19-3 दिनांक 16.05.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गई दर्शायी गई है;

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	20/-	2014-15
		20/-	2015-16
		20/-	2016-17
		20/-	2017-18
2	Shop Rent	------	---NA---
3	Land Revenue	As per Govt. approved rates	2 Revenue villages, but no receipt during audit period

4	Marriage Registration fees	10/-	3 Oct,2016 and thereafter
		200/-**{BPL 25/-}**	Registration within 30 days
		400/-**{BPL 50/-}**	Registration within 90 days
5	Certificate fee	10/-	----------
6	Liquor cess	-------	As per govt. rates
7	Any other receipt due		---NIL---

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

7 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख वसूली हेतु शेष:-

गृहकर:-

सचिव ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या : जी.पी.ऑडिट/कुपवी/बान्दल कफ्लाह/2018-19-3 दिनांक 21/04/2018 के सन्दर्भ में उनके पत्र **क्रमांक:GP/Bandal Kaphlah/2018-19-3** दिनांक 16/05/2018 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की **₹18500** वसूली योग्य शेष थी:-

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
01.04.15	31.03.2015 तक गृहकर की कुल देय राशि@ 20/-				4380/-
2015-16	226	20/-	4520/-	------	8900/-
2016-17	233	20/-	4660/-	------	13560/-
2017-18	247	20/-	4940/-	------	18500/-
			गृहकर की वसूली योग्य राशि		**18500/-**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए ।

उक्त के अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क तथा पंचायत को अन्य करों/शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं

लगाया जा सका | अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करकेसम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये| इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो|

8 अनुदान की ₹26.09 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹26,09,179** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये|

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹2.50 लाख के स्टोर/स्टॉक का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है परिशिष्ट-6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹249563 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही किया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है| परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की

जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए| अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न **{परिशिष्ट-6}** में दिया गया है |

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i). निर्माण कार्यो पर खर्च ₹7.28 लाख के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Bandal Kaphlah/2018-19-2 दिनांक 07/05/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत बान्दल कफ्लाह द्वारा उनके पत्र क्रमांक:GP/Bandal-kaphlah/2018-19-02 दिनांक 16.05.2018 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यो पर खर्च किये गए ₹7,28,219 से सम्बन्धित प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी | यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/राशि का आहरण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है | अतः उपरोक्त बारे यह स्पष्ट किया जाए की उपरोक्त सूची में दर्शाए गए अमुल्यंकित कार्यो में से कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है, कौन से कार्य प्रगति पर है, कौन से कार्य कितने समय से अधूरे/बन्द पड़े है तथा उन पर दर्शाया गया व्यय /भुगतान सही है या नहीं | यदि दर्शाया गया व्यय भुगतान अनियमित /अनुचित पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

अनुदान	भुगतान	विवरण
GENERAL HEAD	677500/-	क्रम संख्यां 1 से 24
14th FC	50719/-	क्रम संख्यां 25 से 37

MGNREGA	**विकास कार्य सूची तैयार/प्रदान नहीं की गई**
Total:-	**728219/-**

(ii). स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गई ₹0.29 लाख की वसूली बारे:-

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उनके पत्र संख्या:- GP/Bandal Kaphlah/2018-19-2 दिनांक 16.05.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई विकास कार्य की सूचि के अनुसार निम्नतालिका में दर्शाए गए कार्यों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया प्रतीत होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त कार्य पर किये गए अधिक व्यय को या तो सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर Funding Agency से अतिरिक्त राशि प्राप्त की जाए अन्यथा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए, तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विकास कार्य सूची क्रमांक	**विकास कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**खर्च की गई राशि**	**अधिक व्यय की गई राशि**
सामान्य निधि				
16	R/O रास्ता माँ भंगायणी से दवाला	40000/-	41760/-	1760/-
14th FC				
25	निर्माण पक्का रास्ता अशाधार से बान्दल	200000/-	213044/-	13044/-
26.	निर्माण शमशान घाट मदवाडी	150000/-	164211/-	14211/-
	योग	**390000/-**	**419015/-**	**29015/-**

(iii). तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.64 लाख का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया की निम्नलिखित निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार ₹64,346 का अधिक आहरण किया प्रतीत होता है, जिस बारे विभागीय स्तर पर जाँच की जाए तथा अधिक खरीद के ऐसे अन्य

प्रकरणों की पूर्णतः जाँच करके अधिक व्यय की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

निर्माण सामग्री का नाम	**सामग्री की क्रय की गई मात्रा/राशि**	**सामग्री की मूल्यांकित मात्रा/राशि**	**अधिक क्रय की गई मात्रा**	**क्रय दर**	**राशि का अधिक आहरण/व्यय**
सामान्य:-सुरक्षा दीवार मन्दिर बवराह MB-13586 पृष्ठ-9-10					
पत्थर	28.08Cum	20.63cum	7.45	590/-	4394/-
14th FC:-पक्का रास्ता अशाधार से बांदल MB-13586 पृष्ठ-86-88					
सीमेंट	89 बैग्स	77 बैग्स	12 बैग	363/-	4356/-
मजदूरी	93600/-	84456/-	------	------	9144/-
14th FC:- पक्का रास्ता जोहड़ी नुपाड़ी से कफ्लाह MB-13586 पृष्ठ-97-99					
सीमेंट	89 बैग्स	77 बैग्स	12 बैग	363/-	4356/-
14th FC:- निर्माण शमशान घाट मद्वाडी MB-13586 पृष्ठ-92-97					
सीमेंट	93 बैग्स	46 बैग्स	47 बैग	391.5	18400/-
सरिया	340 किलो	300 किलो	40	50/-	2000/-
मजदूरी	46840/-	39078/-	------	------	7762/-
सामान्य:- निर्माण शमशान घाट भंडयाडी MB-8135 पृष्ठ-9-12					
मजदूरी	57660/-	43726/-	------	------	13934/-
राशि का अधिक आहरण/भुगतान					**64346/-**

(iv). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् , बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र {कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के समस्त निर्माण कार्यों} इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित किये गए निर्माण कार्यों पर खर्च लाखों रूपये के व्यय/भुगतान की अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच नहीं की जा सकी, तथा दर्शाया गया

व्यय भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे भी पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट की जाए, साथ ही उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय की गई **राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-**

मनरेगा योजना की रोकड़ बही संधारित/प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि उक्त अवधि में (Online Financial Statements) के अनुसार ₹12,90,196 का ऑनलाइन भुगतान किया गया है| अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार Online Financial Statements के अनुसार दर्शाए गए व्यय भुगतान को ही पंचायत का प्राप्ति व् भुगतान मानकर पंचायत की मासिक आय-व्यय विवरणी तैयार कर अंकेक्षण हेतु माह का चयन किया गया है तथा तदानुसार ही पंचायत की वितीय स्थिति तैयार की गई है| अतः उक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारेस्थिति स्पष्ट की जाए |

इसके अतिरिक्त मनरेगा से सम्बन्धित जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्टर रोल्स जारी करने का रजिस्टर, सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए |

वर्ष	**मजदूरी**	**सामग्री**	**कुल भुगतान**
2015-16	348786/-	26770/-	375556/-
2016-17	296456/-	86545/-	383001/-
2017-18	319252/-	212387/-	531639/-
कुल भुगतान	**964494/-**	**325702/-**	**1290196/-**

13 पेशगी के रूप में आहरण की गई ₹3.50 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पूर्व प्रधान श्री सतपाल चौहान को 01.04.2014 से 31.03.2018 के दौरान निम्नतालिकानुसार विभिन्न विकास कार्यों

हेतु ₹3,50,000 पेशगी के रूप में प्रदान की गई है {**परिशिष्ट-7**}| परन्तु सम्बन्धित द्वारा पेशगी की राशि के उचित प्रयोजन पर खर्चे से सम्बन्धित अभिलेख 31.03.2018 तक पंचायत को प्रस्तुत नहीं किये गए थे क्योकि ऐसे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए | अतः उक्त राशि लम्बे अन्तराल से 31.03.2018 को असमायोजित पाई गई है | अतः, पेशगी प्राप्तकर्ता ने यदि उक्त राशि को उचित प्रयोजन पर खर्च करके कार्य को पूर्ण कर लिया है तो पंचायत सचिव उक्त राशि के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख पूर्व प्रधान से प्राप्त करके पेशगी का समायोजन करना सुनिश्चित करे, अन्यथा उपरोक्त राशि की शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करना सुनिश्चित करे |

क्रम संख्या	**पेशगी की तिथि**	**चेक संख्या**	**पेशगी की राशि**	**पेशगी लेने का प्रयोजन/ कार्य का नाम**
1	09.07.14	660398	20000/-	निर्माण पुल हरिजन बस्ती, रणसाड़ी
2.	09.07.14	660398	30000/-	निर्माण L/R जुबड़ी से कुनाउट बान्दल
3.	24.09.14	395109	30000/-	निर्माण पुल हरिजन बस्ती, रणसाड़ी
4.	24.09.14	395108	30000/-	निर्माण पुल हरिजन बस्ती, रणसाड़ी
5.	07.10.14	395119	40000/-	निर्माण L/R बान्दल से कुनाउट
6.	09.04.15	691001	10000/-	निर्माण खुरली, चन्जाह
7.	28.04.15	691005	50000/-	नि. पाइपलाइन हरिजन बस्ती, मधवाडी
8.	30.09.15	691032	100000/-	नि. दो कमरे GPS,चन्जाह
9.	06.11.15	691035	40000/-	मुरम्मत एम्बुलेंस रोड़ डाहर लानी
	पेशगी की कुल राशि		**350000/-**	

14 ₹0.16 लाख की हस्तगत शेष राशि की वसूली बारे:-

सामान्य निधि की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 01.04.2015 को **₹16432** हस्तगत शेष दर्शायी गई थी जोकि 01.04.20.14 से भूत पूर्व प्रधान श्री सूरत सिंह के नाम हस्तगत शेष दर्शाया गया था, परन्तु उक्त राशि दिनांक 31.03.2016 को सचिव श्री किरपा राम द्वारा रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 58 नोट दर्ज करके उक्त राशि को पूर्व प्रधान के नाम पेशगी दर्शाकर रोकड़ बही से हटा दिया गया | अतः उक्त राशि की उचित स्त्रोत से तुरन्त वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करना सुनिश्चित किया जाए|

15 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं-

(i). TSC/SBM योजना/अनुदान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु भुगतान की गई ₹3.60 लाख से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह में पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC/SBM) {**परिशिष्ट- 8**} पर दर्शाए गए लाभार्थियों को ₹3,60,000 का भुगतान दर्शाया गया है, जिससे सम्बन्धित स्वीकृति पत्र, कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा उक्त अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान सही लाभार्थी को हुआ है अथवा नहीं तथा लाभार्थी द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार शौचालय का निर्माण कर लिया गया है या नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए |

उपरोक्त के अतिरिक्त { **परिशिष्ट-**8} वाउचेर नं 58/16 पर चेक संख्या 399850 द्वारा राईया पत्नी बुधिया तथा वाउचेर नं 74/16 पर चैक संख्या 399866 द्वारा धोटाराम पुत्र मुशाराम को किया SBM शोचालय के भुगतान की रसीद पर लाभार्थी/प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाए गए है जिस बारे स्थति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ii). विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR {Goods Receipt Note}/कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद पर दर्शायी गई ₹1.22 लाख की खरीद/व्यय भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल पर सामग्री की खरीद न करके उनके द्वारा जारी GR नोट/कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद को पारित करके चयनित माह में निम्नतालिकानुसार ₹1,21,877 का व्यय भुगतान/आहरण किया गया है | अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं से या तो उक्त भुगतान से सम्बन्धित उचित/proper Tax Invoice/Bill या भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित उचित रसीद नियमानुसार प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, तथा भविष्य में प्रत्येक खरीद उचित बिल तथा भुगतान की रसीद प्राप्त करके ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए, क्योकि

Goods Receipts Note {GR}/कच्ची रसीदों पर दर्शायी गई खरीद/भुगतान अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होती है|

तिथि	**GR/रसीद**	**विक्रेता का नाम**	**क्रय की गई सामग्री**	**राशि**
06/2015	कच्ची रसीद	बाबु राम/ दौलत राम	13 चट्ठे पत्थर	16000/-
06/2015	GR-938	बलबीर गुड्स केरियर	370 बैग्स रेत	37000/-
06/2015	कच्ची रसीद	मिला राम / कनकू राम	9 चट्ठे पत्थर	9000/-
04/2017	GR-583	ठाकुर गुड्स केरियर	148 बैग्स रेत	13320/-
04/2017	कच्ची रसीद	राजेंदर सिंह/ सुखराम	296 बैग्स बजरी	26048/-
04/2017	कच्ची रसीद	------do------	14 चट्ठे पत्थर	16958/-
04/2017	कच्ची रसीद	------do------	148 बैग्स रेत ढुलान	3551/-
			कुल अदायगी	**₹121877/-**

(iii). सीमेंट की खरीद HPSCS न करके ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान:-

सामान्य निधि में प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत सीमेंट की खरीद HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से करके ₹**5,704** का अधिक भुगतान किया गया है | जबकि उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCS, Ltd से उक्त अवधि में सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी **अनापत्ति (NOC)** प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त खरीद पर की गई अधिक अदायगी की सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | उक्त खरीद का ब्यौरा निमनानुसार है |

नं	**विक्रेता**	**बिल संख्या व दिनांक**	**सीमेंट की मात्र**	**प्रति बैग दर**	**HPSCC की दरें (₹)**	**अधिक भुगतान**
1	भूषण एंड संस	1932/ 9.08.15	50	280/-	245/-	1750/-/-
2	हरी राम ठाकुर	14/ 16.07.15	18	320/-	245/-	1350/-
3	ठाकुर ब्रदर्स	2124/ 04/2017	62	345/-	303/-	2604/-
				कुल अधिक अदायगी		**5704/-**

(iv) तृतीय पक्ष को ₹0.70 लाख का अनियमित अग्रिम (Advance) प्रदान करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जालम सिंह सरकारी ठेकेदार को कार्य सड़क कुनाउट से बान्दल के निर्माण कार्य हेतु ₹70,000 चेक संख्यां 691027 दिनांक 07/10/2015 द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है, जबकि उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिल ठेकेदार द्वारा 31.03.2018 तक पंचायत को प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि उक्त बिल/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया | तृतीय पक्ष को कार्य के पूर्ण होने से पूर्व किया गया भुगतान अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त फर्म से बिल प्राप्त करके उसे पंचायत से पारित करवाकर अग्रिम में प्रदान की गई राशि का समायोजन किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति को रोका जाए |

(v). निर्माण सुरक्षा दिवार शिरगुल मन्दिर बवराह में₹2012 का अधिक भुगतान:-

चयनित माह 06/2015 में उपरोक्त कार्य हेतु बाबुराम पुत्र दौलत राम से 13 चट्ठे पत्थर की खरीद @ ₹1000 प्रति चट्ठा दर्शायी गई है जबकि उनके द्वारा जारी कच्चे बिल/रसीद अनुसार कार्य स्थल तक केवल 11 चट्ठों {11 चट्ठे @ ₹274 प्रति चट्ठा= ₹3014} का ही ढुलान किया गया है इस प्रकार बाबुराम पुत्र दौलत राम को 2 चट्ठों का ₹1000 प्रति चट्ठा के हिसाब से **₹2000** का अधिक भुगतान हुआ है|

उक्त कार्य हेतु मस्टर रोल संख्या 2429 पर 4 मजदूरों को 15 दिहाड़ी दिवस @ ₹162 दिहाड़ी के हिसाब से **{₹4x15x162=9720} ₹9720** देय बनती है जबकि उक्त मस्टर रोल बिल को ₹9732 के लिए पारित करके ₹**12** का अधिक भुगतान दर्शाया गया है|

अतः चेक संख्या 691011 द्वारा आहरित ₹**33320** से ₹2012 का अधिक भुगतान हुआ प्रतीत होता है जिस बारे स्थति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधित आहरण की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए|

(vi). मस्टर रोल संख्या 2445 पर एक दिहाड़ी का अधिक भुगतान:-

चयनित माह 04/2017 में निर्माण कार्य पक्का रास्ता अशाधार से बान्दल में मस्टर रोल संख्या 2445 {अवधि 01/04/2017 से 25/04/2017} के क्रमांक 6 पर श्री हरिचन्द पुत्र श्री मोहि राम को 22 उपस्थिति के बदले 23 दिनों की अदायगी दर्शाकर एक दिहाड़ी ₹200 का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

16 जे.सी.बी चार्जीस का ₹1.60 लाख का अनियमित भुगतान:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर ₹1,60,000 का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जोकि उपरोक्त पैरा संख्या:9 में वर्णित नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है , जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए |

(ख) जे.सी.बी. ठेकेदार द्वारा उचित टैक्स इनवॉइस जारी न करके उनके विसिटिंग पैड की छाया प्रति पर बिल जारी किये गए है जिन्हें पंचायत द्वारा बिल मानकर उन्हें पारित करके लाखों रूपये की राशि का भुगतान किया जा रहा है जोकि उचित बिल/टैक्स इनवॉइस पर न होने के कारण अनियमित है व् संदिग्ध भी प्रतीत होता है | जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार से किये गए भुगतानों के सम्बन्धित ठेकेदार से नियमानुसार उचित बिल प्राप्त किये जाए/भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ग) इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौ तियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी |

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

जे.सी.बी चार्जिज का ₹1.60 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल/दिनांक	घंटे	दर	कुल (₹)
सामान्य निधि (मोटर मार्ग भड़ियाडी से कुराई)					
1	सतीश ठाकुर	पैड की छायाप्रति	50	1000/-	50000/-
2	------do------	---do---	40	1000/-	40000/-
सामान्य निधि (निर्माण सड़क कुनाउट से बान्दल)					
3	जालम सिंह	कच्ची रसीद	70	1000/-	70000/-
				कुल अदायगी	**160000/-**

17 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

18 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए था सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए |

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् , बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई , उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है|

19 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

(i). विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि माचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है , जो की अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर |
9. स्टेशनरी रजिस्टर |
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर |
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर |
12 मानदेय पञ्जीका |
13. इन्वेंटरी रजिस्टर |

(ii). अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त राशि {अनुदान/आय} से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अवधि में पंचायत को प्राप्त हुई आय/अनुदान से सम्बन्धित पंचायत द्वारा जारी रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी

अनुपस्थिति में दर्शायी गई प्राप्ति सही थी अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| इसके अतिरिक्त नकद में प्राप्त राशि को भी पुर्णतः रोकड़ दर्ज किया गया था अथवा नहीं इस बारे भी जाँच नहीं की जा सकी | अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही उक्त अभिलेख की पूर्णतः जाँच कर उसका सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

20 **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये | 31.03.2018 को पंचायत के पास उपलब्ध चल/अचल {स्टोर/स्टॉक सामग्री/सम्पति} की सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई|

21 **लघु आपत्ति विवरणिका:-**यह अलग से जारी नहीं की गई |

22 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है|

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)83/2018 खण्ड—1—5339—5342 दिनांक—07.08. 2018 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत बान्दल कफलाह, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुपवी, जिला शिमला हि0प्र0

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046